

र.श. 30/11/20

फार्म

31 दिसम्बर

918/400/100
30/11/20

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

769

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो स. लोचन कुमार शर्मा 2. वर्तमान धारित पद उपसंचालक (सुरक्षा)
3. वर्तमान वेतन 87800+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वाडि क्रमांक 85, नगर-निगम भोपाल कटारा हिल्स भोपाल	मकान नं. 51 जूनियर HIG कटारा हिल्स	X	लगभग 40.00 लाख	स्वयं एवं पत्निके संयुक्त नाम	म.प्र. गृह निर्माण मण्डल से क्रेय किया गया	—	2014 से नगर निगम में है।
ग्राम कटारा हिल्स भोपाल सू.प्र. डी.नं.-24/4220 वि. हरदा	भूमि भू.प्र. ग्राम-दोलागांव नरसील स्थित वि. हरदा	भूमि भू.प्र. 02.13 एकड़	लगभग 15.00 लाख	स्वयं के नाम	पुत्रतनी विरासत (पिताजी की जमीन से आई कटारा में प्राप्त)	0 20.00 (की सलज्ज)	पैतृक जमीन कटारा से हस्तांतरित की गई है।

- * जहां लानू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर र.श. 30/11/20
नाम (स. लोचन कुमार शर्मा)
पद उपसंचालक